

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 844 दिनांक:- 12.10.2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- सोनुवा-पनसुवा-लोढ़ाई-गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 18.37 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 711 दिनांक 26.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/ROAD/26179/2017 प्रस्ताव की पांच प्रतियां Hard Copy एवं Online इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है:-

1. प्रस्तावित वनभूमि पोड़ाहाट वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है। इस परियोजना में 16.2 हे० RF तथा 2.17 हे० जंगल-झाड़ी अवस्थित है।
2. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्रमांक	आरक्षित (R/F) (हे०)	जंगल-झाड़ी (J/J) (हे०)	कुल रकवा (हे०)	वनस्पति घनत्व
1	16.20	2.17	18.37	0.5

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Form- A (Part-I) विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ दर्ज की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है। **अनु०-I**
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन (Part-II) अनुशंसा प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराया गया है जो प्रस्ताव में **अनुलग्नक-II & III** के रूप में संलग्न है।
5. पार्ट-III में वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा का मंतव्य दर्ज है। **अनु०-A**
6. पार्ट-IV में अधोहस्तारी का मंतव्य दर्ज है।
7. पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुवा एवं गुदड़ी विकास प्रखण्ड अन्तर्गत वनभूमि उपयोजन हेतु प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई 41.56 कि०मी० है। वर्तमान में पथ की चौड़ाई 3 मी० है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पथ की वर्तमान चौड़ाई 3.00 मी० को 5.50 मी० में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण एवं पथ के पार्श्व भाग (flank) की चौड़ाई 1.75 + 1.75 मी०=3.50 मी० हेतु प्रस्ताव

12/10

समर्पित किया गया है। अपयोजित होने वाली वनभूमि की विवरणी प्रस्ताव में अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न है। जो निम्नवत् है :-

STATEMENT SHOWING LAND SCHEDULE WISE DETAILS OF FOREST AREA PROPOSED FOR DIVERSION.

Name of Road: SONUA – PANSUA – LUDAI – GUDRI from km 0.00 to km 41.56

Sl No	Component	Total Length (m)	Required Width (m)	Total Area of forest land to be taken for diversion (Ha)	Nature of Land	Remarks
1	2	3	4	5 (3x4)/10000	6	7
1	Pansua Khasra No. 625	---	---	0.23	GM JJ Land	
2	Pansua Khasra No. 468	---	---	0.08		
3	Pansua Khasra No. 638	---	---	0.28		
4	Compartment No. 27 Road Ch 11100 - 13442	2342	13	3.04	Bera Reserved Forest	
5	Compartment No. 26B Road Ch 13442 - 14900	1458	13	1.90	Bera Reserved Forest	
6	Kutipi Khasra No. 56	---	---	0.03	GM JJ Land	
7	Saidwa Khasra No. 1111	---	---	0.01	GM JJ Land	
8	Lorhai Khasra No. 214	---	---	0.13	GM JJ Land	
9	Lorhai Khasra No. 218	---	---	0.02	GM JJ Land	
10	Lorhai Khasra No. 236	---	---	0.09	GM JJ Land	
11	Lorhai Khasra No. 241	---	---	0.39	GM JJ Land	
12	Lorhai Khasra No. 819	---	---	0.02	GM JJ Land	
13	Lorhai Khasra No. 824	---	---	0.02	GM JJ Land	
14	Lorhai Khasra No. 678	---	---	0.03	GM JJ Land	
15	Lorhai Khasra No. 800	---	---	0.01	GM JJ Land	
16	Jante Khasra No. 1	---	---	0.33	GM JJ Land	

12/10

17	Jante Khasra No. 684	---	---	0.02	GM JJ Land	
18	Jante Khasra No. 686	---	---	0.01	GM JJ Land	
19	Jante Khasra No. 688	---	---	0.01	GM JJ Land	
20	Jante Khasra No. 964	---	---	0.45	GM JJ Land	
21	Compartment No. 23A Road Ch 25900 - 27000	1100	13	1.43	Bera Reserved Forest	
22	Compartment No. 22 Road Ch 27000 - 29600	2600	13	3.38	Bera Reserved Forest	
23	Compartment No. 21A Road Ch 29600 - 31100	1500	13	1.95	Bera Reserved Forest	
24	Compartment No. 21B Road Ch 31100 - 32350	1250	13	1.63	Bera Reserved Forest	
25	Compartment No. 2B Road Ch 32350 - 33100	750	13	0.98	Bera Reserved Forest	
26	Compartment No. 2A Road Ch 33100 - 33900	800	13	1.04	Bera Reserved Forest	
27	Compartment No. 1A Road Ch 34050 - 34700	650	13	0.85	Bera Reserved Forest	
TOTAL				18.37 (ha)		

9. प्रस्तावित पथ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल के कुंदरुगुटू वन प्रक्षेत्र, सोनुवा कुंदरुगुटू कम्पार्टमेन्ट संख्या 21 एवं 22 तथा बेरा कम्पार्टमेन्ट संख्या 26 के अन्तर्गत प्रस्तावित है एवं पथांश बेरा आरक्षित वन से होकर गुजरता है।
10. प्रस्तावित पथ के निर्माण में पातन किए जाने वाले वृक्षों की गणना वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। पातित किये जाने वाले वृक्षों की कुल संख्या 171 है। **अनु0-V**
11. पूर्व में अपयोजित होने वाली वनभूमि 18.37 हे० के दो गुणा अर्थात् 36.74 हे० गैर वनभूमि (Non Forest land) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सारण्डा वन प्रमण्डल के अन्तर्गत ग्राम- कासियापेचा में उपलब्ध कराया गया था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल के पत्रांक 1185 दिनांक 19.05.2020 द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व में चयनित स्थल पर सघन रूप से वृक्ष उपलब्ध है, फलस्वरूप उक्त गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वनरोपण करना संभव नहीं है।
12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत Hand book के clarification-2.4 (पृष्ठ संख्या-46) के आलोक में प्रस्तावित 18.37 हे० के दोगुने 36.74 हे० अवकृष्ट वनभूमि के विरुद्ध 37 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर 1000 पौधे लगाने का

प्रस्ताव सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। क्षतिपूरक वनरोपण (CA) स्थल से संबंधित ब्योरा निम्नवत् है:-

क्रमांक	प्रक्षेत्र का नाम	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट सं०	रकबा (हे०)	GPS co-readinet
1	चाण्डिल वन प्रक्षेत्र	चाण्डिल	सीतु	चाण्डिल-01	16/3537, 17, 196 एवं 210	37	23° 8' 12.7" N 85° 51' 4.954" E

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल के पत्रांक 1097 दिनांक 10.07.2020

द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र क्षतिपूरक वनरोपण से संबंधित 10 वर्षीय प्राक्कलन तथा Kml file CD में उपलब्ध कराया गया है जो प्रस्ताव में अनुलग्नक- XVI & XVII के रूप में संलग्न है।

13. प्रस्ताव के साथ टोपो शीट संलग्न है। पैज नं० 149 से 150
14. प्रस्ताव के साथ Village MAP संलग्न है। पैज नं० 148
15. सरायकेला वन प्रमण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गए क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का Polygon Map, Geo-reference, cadastral Map एवं Topo Sheet- No. F45 B/6 प्रस्ताव में अनुलग्नक-XIX के रूप में संलग्न है।
16. (FRA) 2006 के तहत उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक 1747(B) दिनांक 16.11.2019 द्वारा निर्गत (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006) से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा ग्राम-सभा की कार्यवाही प्रस्ताव में अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। अनु०-VI
17. इस परियोजना में प्रयुक्त 2.17 हे० जंगल-झाड़ी उपयोग के संबंध में संबंधित उपायुक्त का अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, NOC प्राप्त होने पर अलग से समर्पित की जायेगी।
18. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है। अनु०-VIII
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA हेतु आवश्यक राशि जमा करने से संबंधित बचनबद्धता दी गई है जो प्रस्ताव में अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। अनु०-X & XI
20. वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का Violation नहीं हुआ है से संबंधित सूचना (Part-II) में अंकित किया गया है।
21. वन संरक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी बायोस्पर, टाईगर रिजर्व अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है, परन्तु सम्पूर्ण सिंहभूम क्षेत्र गज आरक्ष के रूप में अधिसूचित है। अतः जीव-जन्तु की सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रयोक्ता अभिकरण को Project cost पर एक Wild life Management Plan बनवाने एवं वन विभाग की देख-रेख में कियान्वयन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।



22. प्रस्ताव पर मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य अप्राप्त है। उन्हें मंतव्य हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 668 दिनांक 01.09.2020 तथा पत्रांक 787 दिनांक 29.09.2020 द्वारा स्मारित किया गया है। उनसे पुनः अनुरोध किया जा रहा है। मंतव्य प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। Time Line की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजते हुए अनुरोध है कि प्रयोक्ता अभिकरण को वन विभाग की देख-रेख में Wild life Management Plan समर्पित करना तथा इस Plan का क्रियान्वयन प्रोजेक्ट कॉस्ट पर करना होगा, इस शर्त के साथ इस परियोजना हेतु कुल 18.37 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-1 प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि की NOC अलग से प्रेषित की जायेगी।

अनु०:-यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. S.

12.10.20

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

SONUA-PANSUA-LODHAI-GUDARI ROAD 18.37.00_ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 18.37 ha of Forest land.

Date :- 12.10.2020

Place :- Ranchi.

Signature



(A.K. Rastogi)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)